

फर्द अहकाम

बद्रीप्रसाद

बनाम

सन्तोष देवी वगै०

लय का नाम—उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

सं० ८४/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
24.06.2024	<p>अधिवक्ता श्री चन्दन सिंह द्वारा वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्तें हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिए रजि० एडी नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 22.07.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">ⓧ</p>	
22/7/24	<p>पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्वय सजगर्ज से प्राप्त है। अतः पत्रावली दिनांक 25/7/24 को पेश हो।</p>	
25/7/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वाडी उर्फ अधिवक्ता वाडी ने वाद को Not Pross किया। अधिवक्ता वाडी द्वारा वाद को Not Pross किए जाने से खारिज किया जा रहा है। पत्रावली केसल सुमाट होकर नम्बर से कर होकर दाखिल पत्र हो।</p> <p style="text-align: center;">ⓧ</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>	<p>Not Pross ⓧ</p>